कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 21/2001 दिनांक 25-8-2001 को प्रात: 10·30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री अतुल शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक(वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री आर· दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव)जविप्रा,जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री वी·पी· सिंह, उपायुक्त, जोन बी-1,जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2,जविप्रा,जयपुर ।
3- श्री ओ·पी· खड़गावत, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर ।
4- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा,जयपुर ।
5- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव)जविप्रा,जयपुर ।
6- श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक,जोन बी-3,जविप्रा,जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-11(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 20/2001 दिनांक 7-8-2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु ।

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(2) एजेण्डा आईट्मस -

2·1- एजेण्डा सं0 21/2001-1 :- महावीर नगर-प्रथम योजना के भूखण्डों के बारे में -

उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उनके द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1· सवाई माधोपुर रेल्वे लाईन के पूर्व की ओर समानान्तर 50 फिट रेल्वे सीमा छोड़ने के पश्चात् 80 फिट चौड़ी सड़क महावीर नगर-प्रथम में स्वीकृत की गयी ।

...2

2. भूखण्ड़ सं0 866 से 869 एवं 874 से 889 के सामने स्थित रोड़ को 80 फिट यथावत रखते हुए शेष बचे हुए भूखण्डों के भाग को नियमित किया गया ।

3. पूर्व अनुमोदित प्लान में भूखण्ड़ सं0 1 से 59 में फैसिलिटी एरिया दिखाकर अनुमोदित नहीं किया हुआ है । बैठक में विचार-विमर्श कर यह तय किया गया कि योजना के स्वीकृत भूखण्डों में आने वाले क्षेत्रफल की गणना कर ली जावे कि क्या यह क्षेत्र फैसिलिटी क्षेत्र से निकालने के पश्चात् अनुमोदित मानचित्र में आवासीय क्षेत्रफल 60% से अधिक हो जाता है, इसकी जाँच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाये ।

2.2- एजेण्ड़ा सं0 21/2001- 2 :- इंदिरा गृ.नि.स. समिति की योजना नित्यानगर "ए" के अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्ड़ सं0 ए-4, ए-5 व ए-6 के स्थान पर ए-3, ए-4, ए-5 व ए-6 करने हेतु :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि चूँकि मौके के अनुसार जो 4 भूखण्ड़ है उनकी चौड़ाई भी पूर्व मे 3 भूखण्डों के बराबर ही है अत: 3 भूखण्डों के स्थान पर 4 भूखण्ड़ स्वीकृत किये गये ।

2.3- एजेण्ड़ा सं0 21/2001- 3 :- संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना संजय नगर "डी" के विभिन्न प्रकरण :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1. योजना मानचित्र में भूखण्ड़ सं0 314 से 317 के स्थान पर 313 से 316 एवं 334 से 337 के स्थान पर 335 से 338 दर्ज किया जावें ।

2. पूर्व अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड़ सं0 354 से 365/66 कुल 7 भूखण्ड़ अनुमोदित किये गये थे परन्तु अब मौके की स्थिति के अनुसार उनके क्षेत्रफल एवं नम्बर में परिवर्तन है अत: मौके की स्थिति के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार कुल 6 (छह:) भूखण्ड़ स्वीकृत किये गये ।

3. पूर्व अनुमोदित मानचित्र में 30 फिट चौड़ी रोड़ भूखण्ड़ संख्या 200 ए तथा 239 ए एवं 252 के साथ में जिगजैग के रूप में

.. .3

अनुमोदित थी परन्तु यह रोड़ मौके पर सीधी हो गयी है । अत: उक्त रोड़ को मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड़ सं0 200 सी, 239 सी व 252 के पश्चिम में अनुमोदित की गयी ।

2.4- एजेण्ड़ा सं0 21/2001- 4 :- म्युचअल हा0को0सो0 की योजना स्कीम नंबर 12 (प्रभात कॉलोनी) के विभिन्न प्रकरण :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्न निर्णय लिये गये -

प्रकरण सं0 1 :-

पूर्व अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड़ सं0 1 से 15 तक के भूखण्ड़ 80 फिट चौड़ी सैक्टर रोड़ से प्रभावित होने एवं निर्मित क्षेत्र नहीं मिलने के कारण अनुमोदित नहीं किये गये थे परन्तु अब मौके पर इन भूखण्ड़ों के उत्तर में प्रस्तावित 30 फिट चौड़ी रोड़ को भी इन भूखण्ड़धारियों ने अपने भूखण्ड़ों में मिला लिया है जिससे बिल्ट अप क्षेत्र मिल जाता है अत: निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1. भूखण्ड़ सं0 1 को अब भी बिल्ट अप क्षेत्र नहीं मिलने के कारण एवं भूखण्ड़ सं0 5 व 6 रोड़ में आने के कारण अस्वीकृति को यथावत रखा गया ।

2. शेष 12 भूखण्ड़ 2 से 4 एवं 7 से 15 इस शर्त के साथ अनुमोदित किए गए कि नियमन से पहले जोन द्वारा 80 फिट रोड़ को मौके पर खाली कराया जाएगा।तत्पश्चात् उक्त सभी 12 भूखण्ड़ों को नियमित किया जायेगा ।

प्रकरण सं0 2 :-

भूखण्ड़ सं0 72 से 78, 91, 91ए एवं भूखण्ड़ सं0 92 को मौके पर निर्मित होने के कारण एवं योजना मानचित्र के क्षेत्रफल की गणना में शामिल होने के कारण अनुमोदित किये गये ।

प्रकरण सं0 3 :-

1. भूखण्ड़ सं0 85 से 90 एवं 95 से 100 कुल 12 भूखण्ड़ मौके की

....4

स्थिति के अनुसार अनुमोदित किये गये ।

2. भूखण्ड़ सं0 6, 24ए, 94ए, 93, 73ए, 73 बी, 16ए, 16बी कुल 8 भूखण्ड़ मौके पर एवं समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में होने के कारण अनुमोदित किये गये ।

3. भूखण्ड़ सं0 4-7, 85-84, 90-79 के मध्य 60 फिट चौड़ी रोड़ अनुमोदित की गयी ।

2.5- एजेण्ड़ा सं0 21/2001-5 :- दी अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नंबर - 5 (प्रवासी नगर) मुरलीपुरा स्थित 200 फिट चौड़ी रोड़ के संबंध में :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मुरलीपुरा स्थित 200 फिट चौड़ी रोड़ को यथावत रखा जाये ।

2.6- एजेण्ड़ा सं0 21/2001-6 :- नीतिगत निर्णय :-

निम्नांकित नीतिगत निर्णय भी लिये गये -

1. यदि किसी सहकारी समिति की योजना में जविप्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र में निम्नांकित 2 कारणों से परिवर्तन स्वीकृत किया जाता है तो उप विभाजन/पुर्नगठन शुल्क नहीं लिया जावेगा-

(अ) मौके की स्थिति भिन्न होने के कारण ।

(ब) सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र के कारण ।

2. जहां अनुमोदित भूखण्ड़ उप विभाजित या पुर्नगठित होता है तब उप विभाजन/ पुर्नगठन शुल्क लिया जावेगा ।

3. यदि किसी भूखण्ड़ में अतिरिक्त भूमि होती है तो उसका निस्तारण उपायुक्त अपने स्तर पर जविप्रा/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के क्रम में करेंगे ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव)
जविप्रा,जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कॉपरेटिव/2001/डी-209
दिनांक : 10/9/2001

...5

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा,जयपुर।
4- अति॰ आयुक्त(भू रूपान्तरण) जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-1, बी-2, बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
6- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव)
जविप्रा,जयपुर ।